अध्याय-II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

अध्याय-II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

यह अध्याय एसपीएसई द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के सम्बन्ध में सीएजी की निरीक्षण भूमिका, इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव, तथा लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के दृष्टांतों से सम्बन्धित है।

एसपीएसई के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) यह प्राविधानित करती है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी की दशा में, सीएजी किसी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के अंदर सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) यह प्राविधानित करती है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी की दशा में, प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सीएजी द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के अंदर की जाएगी। यदि सीएजी साठ दिनों की उक्त अवधि के अंदर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो कंपनी का निदेशक बोर्ड अगले तीस दिनों के अंदर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा; और यदि बोर्ड अगले तीस दिनों के अन्दर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करने में असफल रहता है तो वह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा जो साठ दिनों के अंदर असामान्य साधारण अधिवेशन में ऐसे लेखापरीक्षक को नियुक्ति करेंगे। इस प्रकार नियुक्त प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक प्रथम साधारण अधिवेशन की समाप्ति तक पद धारण करेगा।

उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले छः सांविधिक निगमों में से, चार सांविधिक निगमों[1] का सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। शेष दो सांविधिक निगमों में से, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सीएजी के परामर्श पर उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) द्वारा की जाती है, तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति निगम द्वारा शेयरधारकों के एक साधारण अधिवेशन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.2 सरकारी कंपनी तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी की दशा में, सांविधिक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

---

[1] उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम, तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।

जैसा कि **प्रस्तर 2.1** में चर्चा की गई है, सीएजी, चार सांविधिक निगमों का एकल लेखापरीक्षक है। शेष दो सांविधिक निगमों की दशा में, सांविधिक लेखापरीक्षा उ.प्र. सरकार/निगम द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

2.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 यह प्राविधानित करती है कि प्रत्येक कंपनी[2], प्रत्येक वर्ष में अपनी वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) के रूप में एक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी, तथा एक एजीएम व उसकी अगली एजीएम की तिथि के मध्य 15 माह से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। यह अग्रेतर प्राविधानित करती है कि प्रथम एजीएम की दशा में, यह कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ माह की अवधि के अंदर आयोजित की जाएगी, तथा किसी अन्य दशा में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के अंदर आयोजित की जाएगी। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129, धारा 134 के साथ पठित, में यह निर्दिष्ट है कि कंपनी की प्रत्येक एजीएम में, कंपनी का निदेशक बोर्ड ऐसे अधिवेशन के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण रखेगा। यह रूपरेखा नियमित कारपोरेट एवं वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है, जिससे कंपनियों में शेयरधारकों द्वारा संवीक्षा एवं निरीक्षण संभव हो पाता है। तदनुसार, कंपनियों को 30 सितम्बर 2023 तक एजीएम आयोजित करना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण रखना आवश्यक था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 394 एवं 395 के अधीन सरकारी कंपनियों के लिए अतिरिक्त जवाबदेही उपाय विहित किए गए हैं, जो यह प्राविधानित करते हैं कि, सरकारी कंपनी के कार्यकरण तथा कार्यकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसके एजीएम के तीन माह के अंदर तैयार की जानी चाहिए तथा ऐसे तैयार किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र वार्षिक प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों एवं/अथवा राज्य विधानमण्डल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति तथा सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक के साथ, रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग इसी समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब शेयरधारकों के संवीक्षण एवं निरीक्षण के अधिकार को क्षीण करता है। अग्रेतर, सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की दशा में इस तरह के विलम्ब के परिणामस्वरूप

[2] एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त।

वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है जिससे विधायी नियंत्रण एवं निरीक्षण प्रभावित होता है।

उपर्युक्त शर्तों के बावजूद, 30 सितम्बर 2023 को विभिन्न एसपीएसई के वार्षिक लेखे बकाया थे। उत्तर प्रदेश में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 113 एसपीएसई में से मात्र 10 एसपीएसई[3] ने 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण सीएजी को प्रस्तुत किए थे। अग्रेतर, समापनाधीन दो एसपीएसई[4] ने समापनाधीन जाने की तिथि तक के अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार, 101 एसपीएसई के लेखे बकाया थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में वर्णित है तथा **तालिका 2.1** में संक्षेपित है।

तालिका 2.1: 30 सितम्बर 2023 को बकाया लेखाओं की स्थिति

विवरण	एसपीएसई के प्रकार			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
31 मार्च 2023 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन एसपीएसई की संख्या	86	21	06	113
क्रियाशील एसपीएसई की संख्या	47	19	06	72
क्रियाशील एसपीएसई की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये	09	01	-	10
क्रियाशील एसपीएसई की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	38	18	06	62
बकाया लेखाओं की संख्या (क्रियाशील एसपीएसई)	231	74	19	324
बकाया लेखाओं की सीमा (क्रियाशील एसपीएसई)	1 से 22 वर्ष	1 से 13 वर्ष	1 से 10 वर्ष	1 से 22 वर्ष
निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) की संख्या	27	1	-	28
निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए	-	-	-	-
निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं	27	1	-	28
बकाया लेखाओं की संख्या (समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई को छोड़कर)	575	28	-	603
बकाया लेखाओं की सीमा (समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई को छोड़कर)	1 से 41 वर्ष	28 वर्ष		1 से 41 वर्ष
समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई की संख्या	12	1	-	13
समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई की संख्या जिन्होंने समापनाधीन जाने की तिथि तक अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए	2	-	-	2

[3] **परिशिष्ट 1.1** की क्रम संख्या 5 से 10, 36, 37, 44, एवं 51 पर स्थित एसपीएसई।

[4] उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड।

विवरण	एसपीएसई के प्रकार			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई की संख्या जिनके लेखे बकाया[5] हैं	10	1	-	11
बकाया लेखाओं की संख्या (समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई)	112	8	-	120
बकाया लेखाओं की सीमा (समापनाधीन निष्क्रिय एसपीएसई)	1 से 29 वर्ष	8 वर्ष	-	1 से 29 वर्ष

स्रोत: एसपीएसई द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत नवीनतम वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि 30 सितम्बर 2023 को 62 क्रियाशील एसपीएसई के 324 वार्षिक लेखे तथा 28 निष्क्रिय एसपीएसई (समापनाधीन एसपीएसई को छोड़कर) के 603 वार्षिक लेखे, एक से 41 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। अग्रेतर, 30 सितम्बर 2023 को समापनाधीन 11 एसपीएसई के 120 वार्षिक लेखे, एक से 29 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे।

एसपीएसई के लेखाओं की लेखापरीक्षा में सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.4 कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों तैयार करने का मूल उत्तरदायित्व एसपीएसई के प्रबंधन का है।

सीएजी सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन का अनुश्रवण कर एक निरीक्षण भूमिका निभाता है। यह भूमिका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश निर्गत करने तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक करने अथवा उस पर टिप्पणी करने की शक्ति के प्रयोग द्वारा निभाई जाती है।

सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की दशा में, सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों तथा सीएजी द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन सीएजी को अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा सीएजी द्वारा

[5] समापनाधीन एसपीएसई के प्रकरण में, बकाया लेखाओं की गणना एसपीएसई के समापनाधीन जाने की तिथि तक की गई है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा कर की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो तो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अधीन वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

सांविधिक निगमों की दशा में, लेखाओं पर सीएजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो तो, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित की जाती हैं।

अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 113 एसपीएसई में से 47 एसपीएसई ने सीएजी को 66 वित्तीय विवरण अग्रेषित किये। इनमें वर्ष 2010-11 से 2022-23 के वित्तीय विवरण सम्मिलित थे। प्राप्त वित्तीय विवरणों, की गयी समीक्षा तथा निर्गत की गई टिप्पणियों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: प्राप्त वित्तीय विवरणों, की गयी समीक्षा तथा निर्गत की गई टिप्पणियों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23			विगत वर्ष		
	सरकारी कंपनियाँ	सांविधिक निगम	योग	सरकारी कंपनियाँ	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त	11[6]	-	11	46	9	55
की गयी समीक्षा	11	-	11	35	9	44
लेखापरीक्षा प्रगति[7] पर है	8	-	8	7	7	14
शून्य टिप्पणी निर्गत की गई	-	-	-	-	-	-
टिप्पणियाँ निर्गत की गई	3	-	3	28	2	30
'नो रिव्यू सर्टिफिकेट' निर्गत नहीं किया गया	-	-	-	11	-	11

स्रोत: अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों और सम्बन्धित फाइलों के आधार पर संकलित

तालिका 2.2 से यह देखा जा सकता है कि अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान प्राप्त 66 वित्तीय विवरणों में से सीएजी ने 45 एसपीएसई के 55 लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा[8] की। शेष 11 प्रकरणों में, सीएजी ने 'नो रिव्यू सर्टिफिकेट' निर्गत किये।

सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5 सीएजी द्वारा अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 के दौरान 47 एसपीएसई (31 सरकारी कंपनी, 12 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी, तथा चार सांविधिक निगम) के 76 वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किये गये, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2**

[6] इसमें वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दो वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित) सम्मिलित हैं।

[7] 30 सितम्बर 2023 के पश्चात् निर्गत की गई टिप्पणियाँ।

[8] वार्षिक, त्रैवार्षिक अथवा पाँच वर्ष में एक बार अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए एसपीएसई के लेखाओं का चयन, समादत्त पूँजी, नियोजित पूँजी तथा टर्नओवर के मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

में वर्णित है। सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

वित्तीय विवरणों में संशोधन/लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में पुनरीक्षण

2.6 सीएजी द्वारा अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान किये गये एसपीएसई के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2019-20 हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर अपने प्रतिवेदन को पुनरीक्षित किया।

एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर निर्गत सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

2.7 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के उपरान्त, सीएजी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 43 एसपीएसई (31 सरकारी कंपनी तथा 12 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी) के 68 वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की तथा उनपर टिप्पणियाँ निर्गत कीं। इसके अतिरिक्त, तीन एसपीएसई[9], जहाँ सीएजी एकल लेखापरीक्षक है, के सात वित्तीय विवरणों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तथा एक एसपीएसई[10], जहाँ सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है, के वित्तीय विवरणों पर एक एसएआर इस अवधि के दौरान निर्गत की गई थी। इस प्रकार, 47 एसपीएसई[11] के 76 वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किये गये, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में वर्णित है।

लाभप्रदता (लाभ/हानि का अधिक/कम दर्शाया जाना) और वित्तीय स्थिति (परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का अधिक/कम दर्शाया जाना) पर प्रभाव को इंगित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों नीचे संक्षेपित की गयी हैं तथा **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित हैं।

अ. सरकारी कंपनियाँ तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

(i) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए पाँच एसपीएसई के 11 वित्तीय विवरणों के प्रकरण में हानियों को ₹ 3,582.34 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए पाँच एसपीएसई के नौ वित्तीय विवरणों के प्रकरण में हानियों को ₹ 1,053.77 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।
- वर्ष 2019-20 के लिए एक एसपीएसई के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, लाभ को ₹1.39 करोड़ से कम दर्शाया गया था।

---

[9] उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

[10] उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम।

[11] दो एसपीएसई अर्थात् उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम लिमिटेड के दो वित्तीय विवरणों के प्रकरण में कोई टिप्पणी निर्गत नहीं की गई।

(ii) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए सात एसपीएसई के 10 वित्तीय विवरणों के प्रकरण में, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को ₹ 5,348.71 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
- वर्ष 2020-21 से 2021-22 के लिए तीन एसपीएसई के चार वित्तीय विवरणों के प्रकरण में, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को ₹ 5,014.51 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

ब. सांविधिक निगम

(i) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2021-22 के लिए एक सांविधिक निगम के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, लाभ को ₹ 1.75 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
- वर्ष 2021-22 के लिए एक सांविधिक निगम के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, हानि को ₹ 47.03 करोड़ से कम दर्शाया गया था।

(ii) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2020-21 के लिए एक सांविधिक निगम के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को ₹ 9.10 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
- वर्ष 2020-21 के लिए एक सांविधिक निगम के एक वित्तीय विवरण के प्रकरण में, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को ₹ 3.30 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

2.8 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(1) यह प्राविधानित करती है कि वित्तीय विवरण कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का सत्य एवं उचित वर्णन देंगे, धारा 133 के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करेंगे, तथा अनुसूची III में दिए गए प्रारूपों में होंगे। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार, ने भारतीय आर्थिक एवं विधिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) का सन्दर्भ लेते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को अधिसूचित किया। इंड एएस को आईएफआरएस के आधार पर बनाया गया था, जो सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांतों (आईजीएएपी) से मुख्यतः तीन पहलुओं यथा उचित मूल्यांकन, विधिक रुप की अपेक्षा सार, तथा तुलन पत्र पर अधिक महत्त्व के आधार पर भिन्न थे। निर्धारित वर्ग की कंपनियों को इंड एएस, 1 अप्रैल 2016 से अनिवार्य रूप से अंगीकृत करना है। इंड एएस से आच्छादित नहीं होने वाली कंपनियों को लेखा मानकों का प्रयोग जारी रखना है।

उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2023 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 107 एसपीएसई थे जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित थे। इन 107 एसपीएसई में से 26 एसपीएसई ने इंड एएस (प्रथम चरण - 18 एसपीएसई, द्वितीय चरण - पाँच एसपीएसई तथा स्वैच्छिक अंगीकरण - तीन एसपीएसई) को अंगीकृत किया था। स्वेच्छा से इंड एएस को अंगीकृत करने वाले तीन एसपीएसई में से एक एसपीएसई अर्थात् मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वर्ष 2018-19 के अपने प्रथम वित्तीय विवरण से इंड एएस को अंगीकृत किया था। अग्रेतर, अपेक्षित मानदण्डों को पूर्ण करने के बावजूद एक एसपीएसई अर्थात् उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2017-18 के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इंड एएस का अनुपालन नहीं किया था।

इंड एएस/एएस का अनुपालन न करने के प्रकरण, जैसा कि 27 एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर अपने प्रतिवेदन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, नीचे संक्षेपित हैं तथा **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है।

- 10 एसपीएसई के 10 वित्तीय विवरणों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने इंड एएस के अनुपालन न करने के 37 दृष्टांत प्रतिवेदित किये।
- 10 एसपीएसई के 17 वित्तीय विवरणों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एएस के अनुपालन न करने के 59 दृष्टांत प्रतिवेदित किये।

इसके अतिरिक्त, 22 एसपीएसई के 32 वित्तीय विवरणों में इंड एएस/एएस के अनुपालन न करने के प्रकरण, जैसा कि 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान सीएजी द्वारा इंगित किये गये थे, नीचे संक्षेपित हैं तथा **परिशिष्ट 2.5** में वर्णित हैं।

- 10 एसपीएसई के 16 वित्तीय विवरणों में, इंड एएस के अनुपालन न करने के 37 दृष्टांत थे।
- 12 एसपीएसई के 16 वित्तीय विवरणों में, एएस के के अनुपालन न करने के 26 दृष्टांत थे।

प्रबंधन पत्र

2.9 वित्तीय लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर लेखापरीक्षक तथा निगमित इकाई के अभिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के मध्य प्रभावी सम्प्रेषण स्थापित करना है।

एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया जाता है। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, सीएजी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं या कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सम्बन्धित एसपीएसई के प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्रों' के माध्यम से सूचित किया जाता है। यह कमियाँ सामान्यतः लेखांकन नीतियों तथा प्रथाओं के अनुप्रयोग एवं व्याख्या, लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजनों, जिनका वित्तीय

विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, तथा कतिपय सूचनाओं की अपर्याप्तता अथवा प्रकट नहीं किया जाना, जिस पर सम्बन्धित एसपीएसई के प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, से सम्बन्धित है।

सीएजी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान, 18 एसपीएसई को 25 'प्रबंधन पत्र' निर्गत किए, जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित है। इन प्रबंधन पत्रों में चिन्हांकित की गई अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति निम्नानुसार थी:

- लेखांकन नीतियों का अनुपालन नहीं किया जाना/प्रकट नहीं किया जाना।
- शेषों का समाधान नहीं किया जाना।
- परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आय, व्यय, आदि का गलत वर्गीकरण।
- 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' में अपर्याप्त प्रकटीकरण/प्रकट नहीं किया जाना।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

2.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। सांविधिक निगमों को अभिशासित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, इन प्रतिवेदनों को राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना होता है। राज्य विधानमण्डल में 30 सितम्बर 2023 तक एसएआर के प्रस्तुतिकरण की स्थिति **तालिका 2.3** में दी गई है।

तालिका 2.3: एसएआर के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिसके लिए एसएआर निर्गत किया गया	नवीनतम वर्ष जिसके लिए राज्य विधानमण्डल में एसएआर प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिनके लिए राज्य विधानमण्डल में एसएआर प्रस्तुत नहीं किये गये
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2020-21	2017-18	2018-19 से 2020-21 (3 वर्ष)
2.	उत्तर प्रदेश वन निगम	2021-22	2017-18	2018-19 से 2021-22 (4 वर्ष)
3.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2019-20	2019-20	-
4.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	2012-13	-
5.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2018-19	2012-13	2013-14 से 2018-19 (6 वर्ष)
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2016-17	2010-11	2011-12 से 2016-17 (6 वर्ष)

स्रोत: एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

तालिका 2.3, से यह देखा जा सकता है कि छः सांविधिक निगमों में से मात्र दो सांविधिक निगमों ने सीएजी द्वारा निर्गत सभी एसएआर राज्य विधानमण्डल में रखे थे। शेष चार सांविधिक निगमों ने सीएजी द्वारा निर्गत 19 एसएआर (तीन से छः वर्षों के मध्य) को राज्य विधानमण्डल में नहीं रखा था, जिससे सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ।